

भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम ई मेल संख्या
दूरभाष न० आधार कार्ड न० बैंक खाता सं०
बैंक का नाम बैंक शाखा IFSC code No.....
दूरभाष न० आधार कार्ड न० बैंक खाता सं०

संलग्नक - 'ज'

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था से पूर्व सैनिको/विधवाओं के लिये देवीय आपदा से हुये क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत हेतु आवेदन

1. पूर्व सैनिक का न०, रैंक, नाम व पता :
2. रेजीमन्ट का नाम : 3. सेवाकाल की अवधि : से तक.
4. सेवा निवृत्ति का कारण :
5. पूर्व सैनिक की मृत्यु की तारीख जहां लागू है। 6. सैनिक विधवा का नाम :
7. पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा का पता - ग्राम पोस्ट तहसील जिला
8. देवीय आपदा की घटना की तारीख स्थान :
9. देवीय आपदा का कारण :
10. क्या यह राज्य सरकार/जिला अधिकारी द्वारा देवीय आपदा/प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया गया गया है : **हां/नहीं**
(यदि हां तो जारी आदेश के प्रपत्र की छायाप्रति विवरण सहित)।
11. क्षतिग्रस्त मकान का विवरण :
12. क्षतिग्रस्त मकान का आंकलन/प्रतिशत :
13. क्या राज्य सरकार/जिला अधिकारी/अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुयी है : हां/नहीं
14. पूर्व सैनिक/विधवा की मासिक पेंशन :
15. वर्तमान में व्यवसाय/पुर्ननियोजन तथा आय :
16. मैंने जो भी तथ्य उक्त आवेदन पत्र में लिखे हैं वह सभी सत्य हैं तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। **उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मेरे को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।**

दिनांक :

पूर्व सैनिक/विधवा के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

17. प्रमाणित किया जाता है कि देवीय आपदा के कारण पूर्व सैनिक/विधवा का मकान दि०.....कोप्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हुआ है एवं मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से जाँच कर दी गयी है। जांच आख्या संलग्न है।

दि० :

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी मोहर सहित

दि०

हस्ताक्षर पटवारी/नगर निगम/भू वैज्ञानिक अधिकारी की मोहर सहित

दि०

हस्ताक्षर तहसीलदार/एस०डी०एम० मोहर सहित

18. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व सैनिक का आवेदन एवं दस्तावेज मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से जाँच कर लिये गये हैं जो कि हर दृष्टि से सम्पूर्ण एवं सही पाये गये हैं तथा किसी अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है।

दि०

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा संस्तुति एवं हस्ताक्षर मुहर सहित

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-

1. पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक तथा पूर्व सैनिक/विधवा को जारी पहचान पत्र की सत्यापित छाया प्रति। 2. मकान की क्षति का आंकलन, प्रतिशत, तथा अन्य पूर्ण जांच आख्या की प्रति। 3. राज्य सरकार/जिला अधिकारी तथा अन्य संस्थानों से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र। 4. राज्य सरकार/जिला अधिकारी/जिला आपदा अधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र/देवीय आपदा क्षेत्र घोषित करने के आदेश की प्रति जहां सम्भव हो।